# संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

## मध्यप्रदेश

ई-मेल training.dhsmp@gmail.com दूरभाष क्रमॉक 0755-2527105

---

क्रमॉक/4/प्रशिक्षण/सीपीएस/2019/ 230 भोपाल,दिनॉक 04/05/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, म.प्र.।

**विषयः-सी.पी.एस.डिप्लोमा 2019 में प्रवेश के संबंध में निर्देश।**

-000-

सी.पी.एस. मुम्बई के माध्यम से प्रदेश में जिला/सिविल अस्पतालों में पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है । वर्ष 2019 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र् के लिए पी. जी. डिप्लोमा की सीटस् की उपलब्धता निम्नानुसार है :-

| क्र | चिकित्सालय का नाम | संभावित सीट का आवंटन | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | डी.जी.ओ. | डी.सी.एच. | डी.ए. | डी.जी.एम | डी.पी.एम. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला चिकित्सालय, भोपाल | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 2 | जिला चिकित्सालय, सागर | 2 | 2 | 2 | - | |
| 3 | जिला चिकित्सालय, सतना | - | 2 | - | - | - |
| 4 | रानी दुर्गावती हास्पीटल, जबलपुर | 4 | - | - | - | - |
| 5 | कमला नेहरू चिकित्सालय | - | - | - | 2 | - |
| 6 | इंदिरा गॉधी चिकित्सालय | 2 | - | - | - | - |
| 7 | मानसिक आरोग्य शाला, ग्वालियर (चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत) | - | - | - | - | 4 |

2/ कुछ अन्य जिला चिकित्सालयों द्वारा भी सी.पी.एस. मुम्बई को अफिलिएशन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है इसके फलस्वरुप डी.जी.ओ., डी.सी.एच., डी.ए., डी.जी.एम, डी.जी.एस एवं डी.पी.बी. विषयों में भी सीट्स उपलब्ध होने की संभावना है। सी.पी.एस. डिप्लोमा की अतिरिक्त सीट्स की उपलब्धता की स्थिति जून 2019 के प्रथम सप्ताह में स्पष्ट हो सकेगी।

3/ वर्ष 2019 के शैक्षणिक सत्र् में डिप्लोमा सीट के लिए कॉउन्सलिंग सी.पी.एस. मुम्बई के माध्यम से की जाएगी इसके लिए इच्छुक योग्य इन-सर्विस चिकित्सा अधिकारी को सी.पी.एस., मुम्बई की साईट पर ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन दिनॉक 07/05/2019 से किया जा सकेगा । ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को ही प्रथम चक्र की कॉउन्सलिंग में भाग लेने की पात्रता होगी। डिप्लोमा सीट के लिए कॉउन्सलिंग

की प्रक्रिया जून प्रथम/द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी एवं इसकी सूचना विभाग की वेब साईट के माध्यम से दी जायेगी।

सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम वर्ष 2019 में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है। कृपया आप अपने जिले की संस्थाओं / जिला चिकित्सालय में पी.जी. नीट वर्ष 2019 क्वालिफाई चिकित्सकों को सी.पी.एस. डिप्लोमा में प्रवेश के संबंध में सूचित करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार ।

***स्वास्थ्य,आयुक्त द्वारा अनुमोदित***

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश
0755-2441074

पृ0क्रमॉक/4/प्रशिक्षण/सीपीएस/2019/ 231 भोपाल,दिनॉक 04/05/2019

प्रतिलिपिः-कृपया सूचनार्थ ।

1/ प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय - वल्लभ भवन, भोपाल ।

2/ आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं,मध्यप्रदेश ।

3/ मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।

4/ संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश ।

5/ समस्त क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवाएं,मध्यप्रदेश ।

संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश

## सी.पी.एस., मुम्बई के माध्यम से प्रदेश के जिला/सिविल अस्पतालों में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2019 में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश

प्रदेश के चिन्हित अस्पतालों का अफिलिएशन सी.पी.एस., मुम्बई के साथ स्त्रीरोग एवं प्रसूति, शिशु स्वास्थ्य, निश्चेतना, जनरल मेडिसीन, एवं मनोरोग विषय में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये किया गया है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम दो वर्ष की अवधी का होगा तथा इसमें प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2019 के लिये दिया जाएगा ।

**पी.जी. डिप्लोमा सीट्स विवरण** –

| S No. | Name of Hospital | No. of Seats | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gynecology | Pediatrics | Anesthesia | Gen Medicine | Psychiatry |
| 1 | J P Hospital, Bhopal | 4 | 2 | 2 | – | – |
| 2 | District Hospital, Sagar | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 3 | District Hospital, Satna | – | 2 | – | – | – |
| 4 | CH Rani Durgawati, Jabalpur | 4 | – | – | – | – |
| 5 | Kamla Nehru Hospital (Gas Rahat), Bhopal | – | – | – | 2 | – |
| 6 | Indira Gandhi Hospital (Gas Rahat), Bhopal | 2 | – | – | – | – |
| 7 | **Mansik Arogyashala, Gwalior** | – | – | – | – | 4 |
| **Total** | | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 |

**सी.पी.एस.डिप्लोमा पाठ्यक्रम में चयन हेतु मापदण्ड एवं पात्रता:-**

1. पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेश हेतु पी.जी. नीट-2019 क्वालिफाईड इन सर्विस चिकित्सा अधिकारी (नियमित एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा चिकित्सा अधिकारी) को ही पात्रता होगी।
2. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पुरुष चिकित्सा अधिकारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 01 जनवरी 2019 को 45 वर्ष तथा महिला चिकित्सा अधिकारियों के लिए 50 वर्ष होगी ।
3. पी.जी. नीट-2019 क्वालिफाईड चिकित्सकों को कॉउन्सलिंग में भाग लेने के लिये सी.पी.एस., मुम्बई की साईट पर ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑन लाईन आवेदन दिनांक 07 मई 2019 से प्रारंभ होगा।
4. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कॉउन्सलिंग के तीन चक्र एवं मॉप अप राउंड संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल में जून प्रथम/द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी जिसकी सूचना विभाग की वेब साईट के माध्यम से दी जाएगी।
5. प्रथम चक्र की कॉउन्सलिंग में ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को भाग लेने की पात्रता होगी। नीट क्वालिफाईड इन सर्विस नियमित चिकित्सा अधिकारियों को जिनकी सेवा 31 मार्च 2019 को तीन वर्ष या इससे अधिक हो, को कॉउन्सलिंग में प्राथमिकता दी जाऐगी ।
6. प्रथम चक्र की कॉउन्सलिंग में सीट्स की पूर्ति न होने पर शेष बची सीट्स के लिए द्वितीय चक्र की कॉउन्सलिंग आयोजित की जाएगी एवं इसमे तीन वर्ष से कम सेवा अवधि वाले नीट क्वालिफाईड इन सर्विस नियमित चिकित्सा अधिकारियों को अवसर दिया जाऐगा ।
7. द्वितीय चक्र की कॉउन्सलिंग के बाद शेष बची सीट्स के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय चक्र की कॉउन्सलिंग में अवसर दिया जाऐगा ।
8. जिन चिकित्सा अधिकारियों का चयन पी.जी.डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूर्व में हो चुका है, किन्तु उनके द्वारा अभी तक प्रवेश नही लिया गया है, उन्हें भी कॉउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति होगी।

9. चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नीट के प्राप्तांक तथा ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में सेवा हेतु दिये गये महत्व को सम्मिलित कर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सीपीएस पी.जी. डिप्लोमा सीट्स के लिये कॉउन्सलिंग की जाएगी।

10. पी.जी. डिप्लोमा सीट्स पर कॉउन्सलिंग विभाग में प्रचलित नियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप आरक्षण नियमों का पालन करते हुए की जाऐगी । श्रेणीवार आरक्षण निम्नानुसार दिया जाऐगा:-

| श्रेणी | आरक्षण प्रतिशत |
|---|---|
| एस.सी. | 16 |
| एस.टी. | 20 |
| ओ.बी.सी. | 14 |

11. श्रेणीवार आरक्षित सीट्स का विवरण निम्नानुसार है:-

| S No | Subject | No. of Seats | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total** | **UR** | **ST** | **SC** | **OBC** |
| 1 | DGO | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | DCH | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | DA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | DGM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DPM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |

12. चिकित्सा अधिकारियों को आरक्षण का लाभ लेने वान्छित प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

13. राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत क्रीमीलेयर की परिधि में आने वाले पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नही दिया जाऐगा ।

14. द्वितीय चक्र एवं तृतीय चक्र की कॉउन्सलिंग में सर्व प्रथम आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीट्स को भरने की कार्यवाही की जाऐगी।

15. तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में आरक्षित श्रेणी के विशेष अर्हताधारी चिकित्सा अधिकारीउपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवेश हेतु आवंटन निम्न क्रम से किया जाएगा:-

15.1.1 अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के पद के विरूद्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से

15.1.2 अनुसूचित जाति की रिक्तियों के पद के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों से

15.1.3 अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूंचित जाति की रिक्तियों के विरूद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से एवं

15.1.4 उपरोक्त तीनों श्रेणियों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से ।

16. काउन्सलिंग के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं जिला/सिविल अस्पताल हेतु अपना विकल्प देना होगा। विकल्प प्रस्तुत करने के बाद इसे परिवर्तित करने की अनुमति नही होगी।

17. पी.जी. डिप्लोमा अवधी के दौरान नियमित चिकित्सा अधिकारियों कों वेतन तथा संविदा चिकित्सा अधिकारियों कों मानदेय प्राप्त होता रहेगा। सीपीएस पी.जी. डिप्लोमा सीट्स के लिये चयनित चिकित्सा अधिकारियों को किसी भी प्रकार का कोई स्टायपंड नही दिया जाऐगा।

18. पी.जी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त चिकित्सा अधिकारियों कों तीन वर्ष की सेवा विभाग द्वारा विहित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में देने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर बॉंड राशि रूपये 20,000,00/-(रूपये बीस लाख) मात्र का निष्पादन संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश/ मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पक्ष में करना होगा ।

19. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु कॉउन्सलिंग के दौरान कोई शुल्क जमा नही करना है, डिप्लोमा पाठ्यक्रम में चयन के उपरांत आवेदन शुल्क, शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क का भुगतान संबंधित चिकित्सा अधिकारी को करना होगा । सी.पी.एस., मुम्बई द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रं. | विवरण | राशि (रुपये) |
|---|---|---|
| 1 | आवेदन शुल्क (Application fees) | 15,000 |
| 2 | शैक्षणिक शुल्क (Enrollment and E-learning fees) | 50,200 |
| 3 | टैब एवं पाठ्य सामग्री (Electronic Paperless Device) | 50,400 |
| **योग** | | **1,15,600** |

20. चिकित्सा अधिकारियों को काउन्सलिंग की सूचना विभागीय वेबसाईट के माध्यम से तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन के माध्यम से दी जाऐगी। किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से काउन्सलिंग की जानकारी नही दी जाऐगी ।

21. प्रथम चक्र की काउन्सलिंग में आवंटित सीट्स का परिणाम उसी दिन घोषित किया जायेगा एवं द्वितीय चक्र की काउन्सलिंग हेतु शेष बची सीट्स की जानकारी विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित की जायेगी। इसी प्रकार द्वितीय चक्र की काउन्सलिंग में आवंटित सीट्स का परिणाम उसी दिन घोषित किया जायेगा एवं आवंटन हेतु शेष बची सीट्स की जानकारी विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

22. सी.पी.एस. पाठ्यक्रम जुलाई 2019 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होना संभावित है।

23. तीन चक्रों की काउन्सलिंग से डिप्लोमा सीटस् की पूर्ति न होने पर मॉपअप राउण्ड की काउन्सलिंग की जाऐगी।

24. **आवश्यक प्रमाण पत्र :-**

    1. M.B.B.S PASSING CERTIFICATE
    2. M.B.B.S MARKSHEET
    3. M.B.B.S. DEGREE
    4. INTERNSHIP COMPLETION CERTIFICATE
    5. CASTE CERTIFICATE (if applicable)
    6. CASTE CERTIFICATE VALIDITY (if applicable)
    7. NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE (if applicable)
    8. STATE MEDICAL COUNCIL REGESTRATION

9. STATE MEDICAL COUNCIL I-Card (if applicable)
10. STATE MEDICAL COUNCIL APPLICATION RECEIPT
11. DOMICILE CERTIFICATE
12. ADDRESS PROOF
13. IN-SERVICE EXPERIENCE CERTIFICATE (Wherever Applicable)
14. NEET PG 2019 SCORE CARD

**(राकेश मुंशी)**
संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्य प्रदेश

# Application for CPC Diploma Seat - 2019

1. Name of Medical Officer - ______________________
2. Father's/ Husband's Name - ______________________
3. Date of Birth (DD/MM/YY) -
4. Address - ______________________
______________________
______________________
5. Email Id - ______________________
6. Mobile Number -
7. Whether belong to - Gen/Sch Caste/Sch Tribe/OBC
8. Year of MBBS -
9. Whether Reg./Contractual -
10. Experience as on 31.3.2019 - Years ____ Months ____ Days ____
11. Present place of posting - ______________________
12. PG Neet-2019 Score -
13. Total Score (PGNEET+Weitage) -
14. Whether selected for PG - Yes/No
15. If yes, then give details - ______________________
______________________

16. Option for CPS Diploma Seat (In order of preference) :–

| S No | Subject | Name of Hospital |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |

Date :
Place :

Name and Signature of MO